कार्यालय, महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

निविदा सूचना

संस्थान में प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण कार्यों हेतु 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line हेतु अनुबन्ध की तिथि से दिनांक 30 जून, 2016 की अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्थाओं से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म तथा कार्य का विवरण विशिष्टियों सहित कार्यालय अवधि में (सोमवार से शुक्रवार) दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ से रू0 500/–(नॉन रिफन्डेबुल) का नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाइट www.sirdup.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म को डाउनलोड करने वाली फर्म/संस्थाओं को निविदा फार्म के साथ रू0 500/– (नान रिफन्डेबुल) डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि "**महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ**" के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। महानिदशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। सभी प्रकार से पूर्ण मुहरबन्द निविदायें दिनांक 15 जुलाई, 2015 को अपराह्न 12.30 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदायें उसी दिन दिनांक 15 जुलाई, 2015 को अपराह्न 03.30 बजे संस्थान पर गठित समिति एवं निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

1/7/15

अपर निदेशक
अपर निदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब–लखनऊ

अनुसूची–1

निविदा–प्रपत्र

(तकनीकी विड)

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब,
लखनऊ।

विषयः 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line (1:1) हेतु निविदा सं0 .....दिनांक ..... के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निविदा–प्रपत्र से सम्बन्धित वांछित सूचनायें क्रमवार निम्नवत् अंकित है:–

1. निविदादाता फर्म/संस्था का पूरा नाम एवं रजिस्टर्ड ऑफिस का पता :
.....
.....
.....

2. निविदादाता फर्म/ संस्था का टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/ई–मेल।
.....
.....

3. फर्म/संस्था के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर का नाम जो फर्म की तरफ से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हो।

(i) .....
(ii) .....
(iii) .....
(vi) .....

4. (i) आयकर सम्बन्धी PAN सं0 (पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।

(ii) वाणिज्य कर सम्बन्धी पंजीयन/टिन सं0 (पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।

5 फर्म के द्वारा 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line प्रदाता के रूप में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

6 फर्म के द्वारा किन्ही तीन शासकीय संस्थाओं/विभागों जिनमें 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line की सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, के नाम :–

(I) .....

(II) .....

(III) .....

7 (i) सम्बन्धित फर्म का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू0 50.00 करोड़ का होना आवश्यक है।

(ii) पिछले तीन वर्षो में वार्षिक टर्न ओवर हेतु (Audited Financial Statements)प्रति संलग्न करें।

टर्न ओवर (रू0 में लाख)	दिनांक 31.03.2013 को	दिनांक 31.03.2014 को	दिनांक 31.03.2015 को

(iii) किसी विवाद, दिवालियापन स्थिति या किसी अन्य कारण से अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के पूर्व ही यदि सेवायें समाप्त हुयी हों तो विवरण (कारण सहित उल्लेख कीजियें)।

.....

.....

.....

(iv) पिछले तीन वर्षो के प्रदत्त आयकर की स्थिति (आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।

8. (i) निविदा शुल्क 500/– जमा की रसीद संख्या ..... दिनांक.....

(ii) निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) के रूप में "महानिदेशक, दी.द.उ. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में देय। बैंक ड्राफ्ट का विवरण:–

1. ड्राफ्ट नं0 .....
2. दिनांक .....
3. धनराशि .....
4. देय : लखनऊ

9. उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्रों के साथ (Letter of Authority/Power of Attorney) भी संलग्न करें।

मैंने/हमने महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में निविदा–प्रपत्र में उल्लिखित कार्यों/शर्तों को भलीभॉति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

उक्त हेतु निर्धारित प्रारूप (वित्तीय विड) पर अपनी दरें समस्त करों सहित (जो प्रचलन में हो) अलग सीलबन्द लिफाफे में तथा (EMD) के रूप में धनराशि रू0 ..... ड्राफ्ट सं0..... दिनांक .....के साथ प्रेषित कर रहा/रहे हूँ/हैं।

हस्ताक्षरः .....
(निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नामः .....
पताः .....
.....
मोबाइल न0.....

मुहर सहित .....
दिनांकः .....

अनुसूची–2

(वित्तीय बिड)

S. No.	Specification of 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line	Rate
1	**Type of Connectivity** : Dedicated Wireless Leased Line **Capacity** : 10 Mbps (1:1) **Operation of Network** : 24x7x365 **Uptime** : 99.5% **Bandwidth Guarantee:** 99%	
2	**Average Maintenance Outage per month:** With prior notice and after confirmation from DDU-SIRD, Lucknow	
3	**I P Addresses:** The bidder shall provide 10 Class C, real IP addresses for exclusive use by DDU-SIRD, Lucknow.	
4	The bidder shall undertake installation & configuration of modems, routers or any such associated Fiber-optic equipment to make the entire system working to provide sustained Internet bandwidth of not less than 10 Mbps at DDU SIRD, Lucknow.	

हस्ताक्षर

अनुलग्नक–1

अल्पकालिक निविदा : विवरण/शर्तें

1. निविदा फार्म, निविदा की शर्तें एवं 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line connectivity का विवरण दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ की बेवसाइट www.sirdup.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म व शर्तें बेवसाइट से डाउनलोड कर फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय **महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब**, के पक्ष में रू0 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ में संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निविदा फार्म रू0 500/– नकद भुगतान करके कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफों में उपलब्ध करायी जायेगी। निविदा के दो भाग होगें। निविदा के प्रथम भाग में **तकनीकी निविदा (अनुसूची–1)** मुहरबन्द लिफाफे में तथा निविदा भाग–दो में **वित्तीय निविदा (अनुसूची–2)** मुहरबन्द लिफाफे में अलग–अलग रखकर उन दोनों मुहर बन्द लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में मुहरबन्द किया जायेगा। **तकनीकी निविदा** की आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की स्थिति में ही सम्बन्धित की **वित्तीय निविदा** पर विचार किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर निविदा जिसके लिए डाली जा रही है उसका उल्लेख तथा जिसको भेजना है उसका सम्बोधन महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को आवश्यक होगा।
3. निविदायें दिनांक 15–07–2015 को अपरान्ह 12.30 बजे तक डाली जा सकती है। इस तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदायें दिनांक 15–07–2015 को अपरान्ह 03.30 बजे निविदा समिति के सम्मुख खोली जायेगी।
5. निविदा के साथ अर्नेस्टमनी डिपाजिट(ई0एम0डी0) के रूप में रू0 50,000/–(रू0 पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो "**महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ**" के पक्ष में लखनऊ में देय हो, संलग्न किया जाये। बिना अर्नेस्टमनी डिपॉजिट (ई0एम0डी0) के किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. अस्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी डिपाजिट (ई0एम0डी0) की धनराशि निविदा खुलने की तिथि के एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी।
7. फर्म/प्रतिष्ठान का आयकर व व्यापार कर में पंजीकरण प्रमाण– पत्र निविदा के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. निविदा खोलते समय निविदादाताओं द्वारा आयकर/व्यापार कर की मूल प्रति मिलान/ परीक्षण के लिए साथ लाना अनिवार्य होगा।
9. फर्म को 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line connectivity हेतु 100 प्रतिशत बैन्डविथ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line हेतु सेवाएं दिनांक 01 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ होंगी, लेकिन 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line connectivity (1:1) की संतोषजनक सेवा होने की दशा में ही 30 जून, 2016 तक प्रभावी होंगी।
11. सफल निविदादाता के द्वारा रू0 50,000/–(रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि Security Deposits के रूप में एफ.डी.आर. जो कि "**महानिदेशक**

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ'' के पक्ष में लखनऊ में देय हो, जमा किया जायेगा। उक्त Security Deposits को अनुबन्ध अवधि में संतोषजनक कार्य की समाप्ति के उपरान्त ही निविदादाता को वापस किया जायेगा।

12. निविदा खोलते समय निविदादाता अपने अभिलेख, जिनमें फर्म की मोहर या नाम अंकित हो, अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
13. इन्टरनेट सम्बन्धी आपूर्ति आदेश में अंकित समय के अन्दर समस्त वांछित dedicated wireless Internet उपकरण/ संयंत्र संस्थान पर आदेशानुसार आपूर्ति करना होगा।
14. मानक के अनुरूप 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line सेवाओं की आपूर्ति न होने पर बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. किसी भी एक निविदा को अथवा सभी निविदाओं को महानिदेशक दी0द0उ0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद पर वाद का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।
16. किसी भी फर्म/संस्था द्वारा निविदा डालने पर यह मान लिया जायेगा कि फर्म को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।
17. 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line अनुबन्ध की तिथि से दिनांक 30 जून, 2016 तक के लिए मान्य होगी। आवश्यकतानुसार महानिदेशक संस्थान द्वारा उक्त अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। एजेन्सी द्वारा संतोषजनक सेवायें उपलब्ध कराये जाने की दशा में प्रथम छः माह के बाद सेवाओं को दिनांक 30 जून, 2016 तक विस्तारित कर दिया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदान करने के उपरान्त यदि सेवायें सन्तोषजनक न हुई तो छः माह के उपरान्त सेवाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।
18. 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line अनुबन्ध की अवधि में एक कार्मिक की सेवाओं को संस्थान पर उपलब्ध करानी होगी जिससे इन्टरनेट सेवा निर्बाध गति से संचालित होती रहें। उक्त व्यक्ति संस्थान के कम्प्यूटर प्रभारी के सम्पर्क में रहकर अपने कार्यों को सम्पादित करेगा।
19. 10 MBPS dedicated wireless Internet leased line मानक के अनुसार उपलब्ध न होने पर देयक से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
20. संस्थान के महानिदेशक का किसी भी मामले में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

महानिदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।